भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2078
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण/डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र से संबंधित धोखाधड़ी

2078. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण/डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को अद्यतन करने के नाम पर की गई धोखाधड़ी से जुड़ी हालिया रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन घोटालों से प्रभावित पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ऐसी धोखाधड़ी को रोकने और पेंशनभोगियों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) I. एमईआईटीवाई/एनआईसी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। विस्तृत प्रक्रियाएं वेबसाइट (https://jeevanpramaan.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई हैं। मोबाइल एप्लिकेशन प्ले स्टोर (एंड्रॉइड के लिए) और ऐप स्टोर (ऐप्पल मोबाइल के लिए) में उपलब्ध है। मार्च 2025 तक, 10.13 करोड़ से अधिक पेंशनभोगी पंजीकृत किए गए हैं।

II. पेंशन स्वीकरण प्राधिकरण और पेंशन संवितरण एजेंसियां जीवन प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य करती हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडबल्यू) जीवन प्रमाण पत्र के डिजिटल सबमिशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। एमईआईटीवाई और एनआईसी जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सक्रिय रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।

III. धोखाधड़ी का कोई मामला ध्यान में आने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। दिसंबर 2022 में एक धोखाधड़ी से संबंधित वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसने जीवन प्रमाण पोर्टल उपयोगकर्ता पुस्तिका से सूचना सामग्री के एक महत्वपूर्ण हिस्से की नकल की थी। इसके लिए की गई तत्काल कार्रवाई संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

i. एनआईसी मीडिया प्रभाग द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए धोखाधड़ी से संबंधित वेबसाइट के बारे में नागरिकों को चेतावनी देने वाला एक आधिकारिक ट्वीट जारी किया गया था।
ii. इस मुद्दे की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध घटना पावती संख्या 20812220080892 के साथ दी गई थी।
iii. इस खतरे को कम करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचित किया गया था।
iv. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) से अनुरोध किया गया था कि वह मामले की समीक्षा करे और यथोचित जांच-पड़ताल के बाद धोखाधड़ी वाली साइट को हटा दे।
v. पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो) से फर्जी वेबसाइट के बारे में एक सार्वजनिक चेतावनी जारी करने का अनुरोध किया गया था, जिसे तदनुसार प्रकाशित किया गया था।

IV. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की वेबसाइट (https://cpao.nic.in/) पर उपयोगकर्ताओं को ऐसी धोखाधड़ी के विषय में सचेत करने के लिए संदेश प्रदर्शित किया जाता है।

****